



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 08.10.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 542/26 धारा 108/115(2)/352351(2)/191(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.08.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी सहदेव सिंह पुत्र रुला सिंह निवासी पुराना करबा बागपत थाना व जनपद बागपत द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्तों 1.विपिन, 2.जितेन्द्र, 3.अभयराम, 4. शीशपाल व 05 महिलाएं निवासीगण गौरीपुर जवाहर नगर कश्यप कॉलोनी थाना व जनपद बागपत द्वारा वादी के पुत्र नीरज पुत्र सहदेव के साथ अभद्र एवं अमानवीय व्यवहार करते हुए मारपीट की गई तथा उसे धमकी देकर आत्महत्या के लिए उकसाया गया । वादी के अनुसार अभियुक्तों द्वारा किए गए उक्त कृत्यों से क्षुब्ध होकर उसके पुत्र नीरज द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 542/26 धारा 108/115(2)/352351(2)/191(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 542/26 धारा 108/115(2)/352/351(2)/191(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभयराम पुत्र जयभगवान निवासी गौरीपुर जवाहर नगर थाना कोतवाली बागपत ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2.है0का0 894 कपिल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 08.10.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 326/2026 धारा

191(2)/191(3)/190/109(1)/351(3)/115(2) बीएनएस में वांछित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध रिवाल्वर .32 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.10.2026 को थाना दोघट पर वादी श्री दीपक कुमार पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम कुरथल जनपद मुजफ्फरनगर ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त जियाउर रहमान आरिफ पुत्र हकीम मौ0 उमर निवासी टाउन होल रोड करम्बा सरधना जनपद मेरठ व उसके 02



पुत्रों तथा 05 अन्य अज्ञात के द्वारा एक साथ मिलकर वादी के बहनोई मनीष पुत्र जसबीर सिंह निवासी ग्राम सिमलाना जिला सहारनपुर के साथ मारपीट कर जान से मारने की नीयत से पिस्टल तानकर ट्रिगर दबा दिया किन्तु गोली नहीं चली तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 326/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/351(3)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 326/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/351(3)/115(2) बीएनएस में वांछित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध रिवाल्वर .32 बोर बरामद हुई है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

यासिर रहमान उर्फ गुड्डू पुत्र श्री जियाउर रहमान आरिफ निवासी सराय अफगानान टाउन हॉल रोड कस्बा व थाना सरधना जनपद मेरठ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री पुष्पराज विशोई थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2.उ0नि0 प्रान्शू राजपूत थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3.है0का0 289 शैलेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।

